

न्यूज टुडे

घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) पर वैश्विक बहस को समझना जरूरी हो गया है

LAWS उन्नत हथियारों की एक श्रेणी है, जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं।

- वर्तमान में, घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) की कोई आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा मौजूद नहीं है।
- नैतिक प्रश्न: क्या हम नैतिक रूप से मानवीय नैतिक अभिकर्तृत्व (Agency) और गरिमा से समझौता किए बिना जीवन-मृत्यु के निर्णय मशीनों को सौंप सकते हैं?

मानव-मशीन (LAWS) को मिलाकर उपयोग करने से जुड़ी नैतिक चिंताएं

- स्वचालन संबंधी पूर्वाग्रह: जहां मनुष्य एक स्वायत्त मशीन के संचालन में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं।
- आश्चर्य: जहां एक मनुष्य को इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती कि मशीन किस तरह काम कर रही है या उस समय जब उसे मशीन से नियंत्रण वापस लेने की जरूरत होती है।
- नैतिक अंतरोध: जहां मानव ऑपरेटर नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को एक वैध प्राधिकारी के रूप में मशीन पर स्थानांतरित कर देता है।

घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) पर नैतिक बहस



LAWS के पक्ष में तर्क

- परिणाम-उन्मुख जस्टिफिकेशन (परिणामवादी):** LAWS से सटीकता में सुधार हो सकता है, जिससे नागरिकों को होने वाली क्षति कम हो सकती है।
 - उदाहरण के लिए-** उन्नत लक्ष्यीकरण वाली एक स्वायत्त मिसाइल बड़े पैमाने पर नागरिकों या संपत्ति की हानि को कम कर सकती है।
- नैतिक श्रेष्ठता:** LAWS मानवीय त्रुटि को कम कर सकते हैं; सैन्य अभियानों के नैतिक मूल्यों को बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) का बेहतर अनुपालन कर सकते हैं।
- क्षति को न्यूनतम करना:** खतरनाक अग्रिम मोर्चे के अभियानों से सैनिकों को हटाकर, स्वायत्त हथियार संघर्ष में जानमाल की हानि को कम कर सकते हैं।



LAWS के विपक्ष में तर्क

- मानवीय निर्णय का अभाव:** LAWS, यद्यपि सटीक होते हैं, लेकिन उनमें जटिल व परिवर्तनशील स्थितियों में मानव की तरह नैतिक आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है।
- जवाबदेही संबंधी मुद्दे:** स्वायत्त हथियारों की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही तय करना एक जटिल कार्य है।
 - “कौन जवाबदेह है? क्या यह विनिर्माता है? या वह व्यक्ति जिसने एल्गोरिदम को प्रोग्राम किया है?” - **निकोल वान रुइजेन**
- मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचाना:** उन सैनिकों की गरिमा को नुकसान जिन्हें निशाना बनाया जाता है, तथा उन नागरिकों की जिन्हें मौत के खतरे में डाल दिया जाता है।
- युद्ध में हिंसा का सामान्यीकरण:** युद्ध के मैदान से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय दूरी बढ़ाने से हिंसा का प्रयोग आसान हो जाता है।

भारत का पहला वेरिबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट (VSPSP) उत्तराखंड के टिहरी में शुरू हुआ

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (THDCIL) ने भागीरथी नदी पर अवस्थित 1 GW टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट की पहली इकाई (250 MW) से वाणिज्यिक तौर पर विद्युत की आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की।

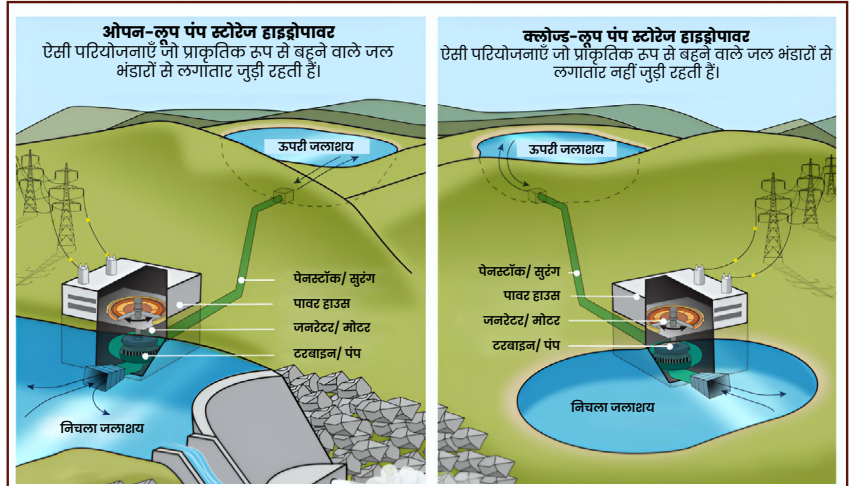
- वेरिबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट (VSPSP) एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट है, जो टर्बाइंस और पंप्स की गति को समायोजित करने के लिए वेरिबल स्पीड तकनीक का उपयोग करता है। यह पारंपरिक पंप स्टोरेज प्लांट (PSP) की तुलना में अधिक लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है।

पंप स्टोरेज प्लांट (PSP) क्या है?

- इसमें अलग-अलग ऊंचाई पर अवस्थित दो जल भंडारों का उपयोग किया जाता है। एक जल भंडार अधिक ऊंचाई पर और दूसरा कम ऊंचाई पर बनाया जाता है। ऊंचाई वाले जल भंडार से कम ऊंचाई वाले जल भंडार में पानी छोड़ा जाता है। यह पानी एक टरबाइन से होकर गुजरता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है।
- यह किस सिद्धांत के तहत कार्य करता है?
 - यह बिजली को संग्रहीत करने और उत्पन्न करने के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा (Gravitational potential energy) के सिद्धांत का उपयोग करता है।
 - एक प्रकार का हाइड्रोइलेक्ट्रिक लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण (long duration energy storage) है।
- कार्यप्रणाली
 - जब बिजली की मांग कम होती है एवं पवन या सौर जैसे ऊर्जा स्रोतों से प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक सिस्टम ऊपरी जलाशय तक पानी को पंप करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करता है।
 - जब बिजली की मांग बहुत अधिक होती है, उस अवधि के दौरान संग्रहित पानी को टर्बाइंस के माध्यम से निचले जलाशय में वापस छोड़ दिया जाता है। इससे बिजली पैदा होती है।
 - प्रकार: PSP को ओपन-लूप या क्लोज्ड-लूप (डायग्राम देखें) के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

भारत में पंप स्टोरेज हाइड्रो पॉवर की स्थिति

- स्थापित हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कैपेसिटी: फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में यह लगभग 4.8 GW है।
 - 2022 तक दुनिया भर में लगभग 175 GW पंप हाइड्रो स्टोरेज कैपेसिटी स्थापित की गई है। इसमें अग्रणी देश चीन है, उसके बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।



बेंगलुरु में RCB की IPL 2025 ट्रांफी परेड के दौरान भगदड़ से कई लोगों की मौत हो गई

भगदड़ का आशय उस स्थिति से है, जब भीड़ की व्यवस्थित आवाजाही में किसी कारणवश व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोग अनियंत्रित होकर इधर-उधर भागने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कई लोग घायल हो जाते हैं और गंभीर स्थिति (जैसे दम घुटने, कुचले जाने आदि) में उनकी मृत्यु भी हो जाती है।

- पिछले एक साल में भारत में भगदड़ की कम-से-कम छह बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे: दिल्ली रेलवे स्टेशन, महाकुंभ आदि।

भीड़ प्रबंधन पर NDMA के दिशा-निर्देश

- क्षमता नियोजन: इसके तहत भीड़ के व्यवहार को समझना, भीड़ नियंत्रण की तकनीक और हितधारक दृष्टिकोण विकसित करना शामिल है।
- जोखिम विश्लेषण और तैयारी: संभावित खतरों की पहचान करना और उनका पहले से समाधान करना। इसमें विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण (FMEA) नामक पूर्व-नियोजन तकनीक भी शामिल है। इसमें सभी कार्यक्रम आयोजक/योजनाकार गड़बड़ी होने तथा उसके चलते होने वाले संभावित नुकसान और उसे रोकने के उपायों का प्रबंधन करते हैं।
- सूचना प्रबंधन और प्रसार: इसमें आगंतुकों के साथ-साथ हितधारकों के साथ भी संवाद करना और उन्हें सही जानकारी प्रदान करना शामिल है।
- सुरक्षा और संरक्षा उपाय: इसमें CCTV निगरानी, बैरियर, आपातकालीन निकास के साथ-साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की सुविधाएं और यातायात प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों का उपयोग करना शामिल है।

स्मार्ट भीड़ प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास और समाधान

- एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र: ओलंपिक खेलों और अन्य बड़े आयोजनों में एकीकृत कमांड नियंत्रण केंद्रों का उपयोग किया जाता है। इससे भीड़ की आवाजाही के प्रबंधन और सार्वजनिक संचार में सहायता मिलती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग: जापान और सिंगापुर जैसे देश AI-संचालित भीड़ निगरानी प्रणाली, रियल टाइम डेटा विश्लेषण जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- अभिनव नियोजन रणनीतियां: इसमें ज़ोनिंग, भीड़ प्रवाह अनुकूलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, लोक जागरूकता और हितधारक सहयोग शामिल हैं।

भगदड़ के लिए जिम्मेदार कारक

- संरचनात्मक:** जब किसी पुल, इमारत या ढांचे के गिरने से आपदा हो।
उदाहरण: मोरबी पुल हादसा, गुजरात (2022)।
- आग/ बिजली:** किसी दुकान या घर में आग लगना, अग्निशामक यंत्र की अनुपलब्धता आदि।
उदाहरण: उपहार सिनेमा अग्निकांड (1997)।
- प्रशासनिक या प्रबंधकीय चूक:** दर्शकों की संख्या का गलत अनुमान, स्टाफ/सेवा की कमी, गेट का बंद या अचानक खुलना आदि।
- भीड़ का व्यवहार:** अचानक एक साथ निकास की कोशिश, पार्किंग की ओर दौड़ना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में अंतिम समय पर बदलाव आदि।
उदाहरण: महाकुंभ मेला, 2025 की भगदड़
- सुरक्षा:** सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी, आंसू गैस या बल प्रयोग जिससे भीड़ डर जाती है, भीड़ के सामने खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना आदि।
उदाहरण: सियोल की भीड़ त्रासदी (2022)

भारत को 2026-28 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का सदस्य चुना गया

ECOSOC की सदस्यता 5 क्षेत्रीय समूहों को समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित की जाती है। ये क्षेत्रीय समूह हैं- अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन, तथा पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देश।

- भारत को एशिया-प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान व चीन के साथ चुना गया है। एशिया-प्रशांत देशों को चार सदस्यता आवंटित की गई है।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में

- मुख्यालय:** न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका)।
- स्थापना:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ECOSOC की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक के रूप में की गई थी।
- प्रकृति:** यह वैश्विक सामाजिक और आर्थिक मामलों पर विचार-विमर्श, नवाचार, सहमति बनाने तथा समन्वय का प्रमुख मंच है।
- सदस्य संख्या:** इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को महासभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।

ECOSOC के कार्य

- समन्वय:** यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करती है।
- नीतिगत सिफारिशें:** यह 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करती है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य देशों को नीतिगत सिफारिशें जारी करती है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, ECOSOC निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:**
 - जीवन स्तर ऊंचा करने, पूर्ण रोजगार और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए;
 - अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की पहचान करने के लिए;
 - अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए;
 - मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सभी जगह सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिए आदि।

ECOSOC के प्रमुख आयोग:

- सांख्यिकीय आयोग:** 1946 में स्थापित यह आयोग वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है।
- जनसंख्या और विकास आयोग:** यह जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अलग-अलग कार्यवाहियों में प्राथमिक भूमिका निभाती है।
- महिलाओं की स्थिति पर आयोग:** यह लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तीकरण के लिए समर्पित प्रमुख संस्था है।
- नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग:** यह विश्व में नशीली दवाओं की समस्याओं का विश्लेषण करती है। यह नशीली दवाओं की आपूर्ति और मांग, दोनों में कमी करने के लिए प्रयास करती है।
- अन्य संस्थाएं:** सामाजिक विकास आयोग, सतत विकास आयोग, संयुक्त राष्ट्र वन मंच, अपराध रोकथाम और अपराधिक न्याय आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास आयोग आदि।

भारत की दो आर्द्रभूमियों को "अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची" में शामिल किया

राजस्थान की खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही, भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है।

- विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में मनाया जाता है। वर्ष 2025 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है: 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन'।
- दो नई आर्द्रभूमियों को शामिल होने के साथ ही राजस्थान में रामसर साइट्स की कुल संख्या चार हो गई है। राजस्थान की दो अन्य रामसर साइट्स हैं- सांभर साल्ट लेक और भरतपुर स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान।

रामसर आर्द्रभूमि अभिसमय के बारे में

- शुरुआत: यह कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और 1975 में लागू हुआ था।
- विवरण: यह एक अंतर-सरकारी संधि है, जो आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- संयुक्त राष्ट्र के लगभग 90% सदस्य देश इसके "संविदात्मक पक्षकार" बन चुके हैं।
- भारत 1 फरवरी, 1982 को रामसर अभिसमय का पक्षकार बना था।
- एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स भारत में हैं।
- किसी आर्द्रभूमि को "अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि" के रूप में नामित करने के लिए उसे रामसर कन्वेंशन द्वारा निर्धारित 9 मानदंडों में से कम-से-कम एक मानदंड को पूरा करना होता है।

दो नई रामसर साइट्स के बारे में	
	- अवस्थिति: उत्तरी थार रेगिस्तान, फलोदी जिला (राजस्थान) - इसमें दो जल निकाय, रातड़ी नदी और विजयसागर तालाब, नदी-तटीय पर्यावास एवं झाड़ीदार भूमि शामिल हैं। - इस स्थल पर शीतकाल में बड़ी संख्या में प्रवासी डेमोइसेल क्रेन (एथ्रोपोइड्स वर्ग) आते हैं।
	- अवस्थिति: मेनार और खेरोदा गांव, उदयपुर जिला (राजस्थान) - यह तीन तालाबों (बृह्म तालाब, धोंड तालाब और खेरोदा तालाब) से बना ताजे जल का मानसूनी आर्द्रभूमि परिसर है। - यहां पाए जाने वाली कुछ प्रमुख पक्षी प्रजातियों में किटिकली एंडेंजर्ड श्वेत पट्टे वाला गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस) और लॉन्ग बिल्ड वल्चर (जिप्स इंडिका) हैं। - यहां 70 से अधिक पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें बृह्म तालाब के आसपास आम के पेड़ (मैंगीफेरा इंडिका) शामिल हैं। इस पेड़ पर बड़ी संख्या में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स (टेटोपस जाइगेंटस) प्रजाति रहती है।

भारत में जनगणना 2027 के साथ जातिगत गणना भी कराई जाएगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत में अगली जनगणना दो चरणों में की जाएगी। यह कार्य 1 मार्च, 2027 तक पूरा हो जाएगा। भारत में वर्ष 2011 के बाद पहली बार जनगणना कराई जाएगी।

- 2011 के बाद जनगणना कार्य 2020-2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई।

जनगणना 2027: मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- अधिसूचना: जनगणना 2027 संचालन की अधिसूचना जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।
- जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:
 - चरण I - हाउस लिस्टिंग (मकानों की सूची): सभी स्थायी या अस्थायी भवनों का विवरण उनके प्रकार, सुविधाओं और परिसंपत्तियों के आधार पर दर्ज किया जाएगा।
 - चरण II - जनसंख्या की गणना: देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या न हो की विस्तृत जानकारी उसकी जाति के साथ दर्ज की जाएगी।
- संदर्भ तिथियां: वे तिथियां जिनके अनुसार जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे।
 - लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए: 1 अक्टूबर 2026; तथा
 - शेष भारत के लिए: 1 मार्च 2027.
- जातिगत गणना: 1931 के बाद यह पहली बार होगा, जब जाति से संबंधित आधिकारिक डेटा एकत्र किए जाएंगे।
- डिजिटल जनगणना: यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।

भारत में जनगणना

- संवैधानिक प्रावधान: इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 69) के तहत किया गया है।
- कानूनी प्रावधान: जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियमावली, 1990 के तहत जनगणना आयोजित की जाती है।
- प्रमुख अधिकारी: जनगणना का कार्य रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की देखरेख में संपन्न होता है।
- भारत में पहली बार पूरे देश में संगठित जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 के बाद यह भारत की सोलहवीं दशकीय जनगणना होगी।
 - यह स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाली 8वीं लगातार जनगणना होगी।
 - भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। तब से यह नियमित रूप से आयोजित होती रही है, हालांकि, कोविड महामारी के कारण इस कार्य में व्यवधान आया है।
- महत्त्व: जनगणना आधिकारिक सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय डेटा का मुख्य स्रोत है। यह डेटा सरकारी योजनाओं, नीतियों और नियोजन के निर्माण में मदद करता है।

अन्य सुर्खियां



तालिबान प्रतिबंध समिति (Taliban Sanctions Committee)

पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति (CTC) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

तालिबान प्रतिबंध समिति के बारे में

- इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1988 (2011) द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तालिबान संगठन से जुड़े व्यक्तियों, समूहों, उपकरणों और संस्थाओं की संपत्ति की ज़ब्त, उन पर यात्रा प्रतिबंध और हथियार की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है।

आतंकवाद-रोधी समिति के बारे में

- इसे 2001 में 9/11 आतंकी हमले के बाद संकल्प 1373 का उपयोग करके अपनाया गया था।
- उद्देश्य: संकल्प 1373 के अनुसार:
 - राष्ट्रों को आतंकवादी समूहों को किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देनी चाहिए, आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह या आश्रय प्राप्त करने से रोकना चाहिए, आतंकवाद को अपराध घोषित करने वाले घरेलू कानून बनाने चाहिए, आदि।
- सदस्यता: इस समिति में सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देश शामिल होते हैं। साथ ही, सभी सदस्य देशों को संकल्प का पालन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी निभानी होती है।



नॉर्डन सी रूट (NSR)

भारत ने नॉर्वे की एजेंसियों के साथ मिलकर नॉर्डन सी रूट (NSR) को चालू करने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया है।

NSR या नार्थ-ईस्ट पासज (NEP) के बारे में

- अवस्थिति: यह एक समुद्री मार्ग है जो रूस के उत्तरी तट के किनारे से होकर गुजरता है। यह आर्कटिक जलमार्गों के माध्यम से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।
- भौगोलिक विस्तार: NSR की शुरुआत बैरेंट्स सागर (नॉर्वे के पास) और कारा सागर की सीमा से होती है, और इसका अंत बैरिंग जलडमरूमध्य (रूस और अलास्का के बीच) में होता है।
- सबसे छोटा समुद्री मार्ग: NSR के जरिए यूरोप और एशिया के बीच की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर है, जबकि स्वेज नहर मार्ग से यह दूरी 21,000 किलोमीटर है।
 - यह स्वेज नहर मार्ग की तुलना में एशिया और यूरोप के बीच की यात्रा में लगने वाले समय को 10-14 दिनों तक कम कर देगा।
- बंदरगाह: इस मार्ग पर पाँच मुख्य बंदरगाह हैं: सबेटा, डुईका, खटंगा, टिक्सी और पेवेक।





म्यूऑन्स

हाल ही में अमेरिका में किए गए प्रयोगों के परिणाम में यह बात सामने आयी है कि म्यूऑन्स कुछ असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। इससे हमें ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों को लेकर नई और रोचक जानकारियां मिल सकती हैं।

म्यूऑन्स के बारे में

- अवधारणा: म्यूऑन मूलभूत उप-परमाण्विक कणों में से एक है। कण भौतिकी के मानक मॉडल के अनुसार, ये ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी निर्माण खंड हैं।
- म्यूऑन्स इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, लेकिन इनका भार इलेक्ट्रॉन से 207 गुना अधिक होता है।
- म्यूऑन लेट्टन समूह का हिस्सा है। लेट्टन एक प्रकार के मूलभूत कण हैं। इसका मतलब है कि वे पदार्थ के छोटे टुकड़ों से भी नहीं बने हैं।
- अन्य लेट्टन की तरह, म्यूऑन्स पर ब्रह्मांड में चार मूलभूत बलों (गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल) में से केवल तीन का प्रभाव पड़ता है। मजबूत परमाणु बल का म्यूऑन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।



रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिवार्म प्रोग्राम

भारत ने एशियाई विकास बैंक (ADB) द्वारा पाकिस्तान को "रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिवार्म प्रोग्राम" के तहत दिए गए 800 मिलियन डॉलर के ऋण का विरोध किया।

रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिवार्म प्रोग्राम के बारे में

- उद्देश्य: पाकिस्तान को ऐसे सुधार लागू करने में सहायता देना, जिससे उसकी राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
- ADB के बारे में
 - बहुपक्षीय संगठन: ADB एक प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास का समर्थन करना है।
 - स्थापना: 1966
 - मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस।
 - सदस्य: शुरुआत में 31 सदस्य थे, अब कुल 69 सदस्य हैं। इनमें से 50 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं तथा शेष 19 अन्य क्षेत्रों से हैं।
 - भारत ADB का संस्थापक सदस्य है।
- ADB ने COP28 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब की शुरुआत की।



इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS)

भारत 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS)' का अध्यक्ष बना है।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के बारे में:

- स्थापना: वर्ष 1930 में हुई थी।
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में
- उद्देश्य: यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है। यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- प्रमुख सदस्य देश: भारत, जापान, चीन, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, स्पेन, क्रतर, मोरक्को, इंडोनेशिया आदि।
- भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग वर्ष 1998 से IIAS में भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता रहा है।



क्लीन प्लांट प्रोग्राम

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में अंगूर, संतरे और अनार के लिए 'क्लीन प्लांट प्रोग्राम' शुरू किया।

क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) के बारे में

- लॉन्च किया गया: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा।
- उद्देश्य: किसानों को वायरस-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री उपलब्ध कराकर बागवानी क्षेत्र में क्रांति लाना।
- प्रोग्राम के घटक:
 - क्लीन प्लांट सेंटर्स (CPCs): ये केंद्र वायरस-मुक्त रोपण सामग्री (प्लांट) का उत्पादन करने के लिए हाई-टेक लैब से युक्त होंगे।
 - प्रमाणन और कानूनी फ्रेमवर्क: बीज अधिनियम, 1966 के तहत निर्धारित प्रमाणन प्रणाली रोपण सामग्री के उत्पादन और बिक्री में जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।
 - अत्याधुनिक अवसरचना: अधिक संख्या में स्वच्छ रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अवसरचना विकसित करने हेतु बड़ी नर्सरी को सहायता दी जाएगी।
- कार्यान्वयन: इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHBB) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के सहयोग से किया जाएगा।



ECINET ऐप

भारत निर्वाचन आयोग ने समय पर मतदान प्रतिशत (वोटर टर्नआउट) की रिपोर्टिंग के लिए ECINET ऐप लॉन्च किया।

- चुनाव संचालन नियम, 1961 के तहत, पीठासीन अधिकारियों (PROs) को अभी भी मतदान समाप्त होने पर उम्मीदवारों द्वारा नामित पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17C जमा करना आवश्यक है। इस फॉर्म में दर्ज मतों का विवरण होता है।

ECINET ऐप के बारे में

- यह वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत और पुनर्गठित करेगा।
- इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर दो घंटे में ECINET ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़े डेटा दर्ज करेगा, ताकि वोटिंग ट्रेंड को अपडेट करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक हो, ECINET पर डेटा केवल अधिकृत ECI अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।



एक्सपोजोमिक्स

एक्सपोजोमिक्स में अध्ययन रोगों के कारणों को समझने और उनकी रोकथाम की रणनीतियाँ बनाने में मदद कर सकता है।

एक्सपोजोमिक्स के बारे में

- परिभाषा: एक्सपोजोमिक्स अध्ययन की एक विधि है, जिसमें किसी व्यक्ति के एक्सपोजोम (संपूर्ण जीवनकाल में पड़ने वाले सभी बाहरी और आंतरिक प्रभावों) का विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन दो प्रकार के आकलन पर आधारित है:
 - आंतरिक जोखिम: इसमें जीनोमिक्स, मेटाबोमिक्स जैसे अध्ययन के क्षेत्र शामिल हैं।
 - बाहरी जोखिम: इसमें पर्यावरण से उत्पन्न जोखिमों की माप की जाती है।
- एक्सपोजोम वह संपूर्ण माप है जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति को पूरे जीवनकाल में कौन-कौन से बाहरी प्रभावों का सामना करना पड़ा और उसके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ा है।
- एक्सपोजोमिक्स का उद्देश्य यह समझना है कि भौतिक, मनो-सामाजिक वातावरण जैसे बाहरी संपर्क, आनुवंशिकी जैसी आंतरिक और व्यक्तिपरक विशेषताओं के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, जो शरीर को स्वस्थ या रोगी बनाते हैं।



कृषि में साउथ-साउथ सहयोग के लिए ICRISAT उत्कृष्टता केंद्र (ISSCA)

अंतर्राष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) ने "ICRISAT-साउथ-साउथ सहयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र" का शुभारंभ किया।

- RIS पॉलिसी अनुसंधान पर एक स्वायत्त संस्थान है। यह नई दिल्ली में स्थित है।

ISSCA के बारे में

- यह ग्लोबल साउथ के देशों के बीच कृषि नवाचार, सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को गति देने वाला प्रमुख संस्थान है।
- यह भारत की दक्षिण (DAKSHIN) पहल के अनुरूप भी है, जो ग्लोबल साउथ के देशों के बीच विकास और ज्ञान साझा करने वाला एक सरकारी कार्यक्रम है।

ICRISAT के बारे में

- स्थापना: इसकी स्थापना 1972 हुई थी।
- यह शुष्क कृषि और कृषि-खाद्य प्रणाली के विकास और इसमें सुधार करने वाला एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- मुख्यालय: हैदराबाद (तेलंगाना)।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची